सत्यमेव जयते

भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
राज्य वित्त
31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

रिपोर्ट 01–08–2014 को संसद में सदन के पटल पर रखी गई है

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग ✦ INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन

भारत के

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

राज्य वित्त

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन

विषय–सूची		
	पैराग्राफ	पृष्ठ
प्राक्कथन		vii
कार्यकारी सारांश		ix
अध्याय – 1 राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.2	1
बजट अनुमान तथा वास्तविकता	1.3	3
राज्य के संसाधन	1.4	3
राजस्व प्राप्तियाँ	1.5	5
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.6	8
व्यय की गुणवत्ता	1.7	10
सरकारी व्यय व निवेशों का वित्तीय विश्लेषण	1.8	13
परिसंपत्तियाँ व देयताएँ	1.9	15
ऋण धारणीयता	1.10	16
राजकोषीय अंसतुलन	1.11	18
निष्कर्ष	1.12	21
सिफारिशें	1.13	21
अध्याय – 2 वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	23
विनियोजन लेखों का सारांश	2.2	23
वित्तीय जवाबदेही तथा बजट प्रबंधन	2.3	24
व्यय में कमी के कारण समायोजित वसूलियाँ	2.4	29
रिक्त पदों के लिए अनावश्यक प्रावधान	2.5	29
अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ	2.6	29
अनुदान सं. 7 – चिकित्सा तथा जनस्वास्थ्य तथा अनुदान सं. 8 – सामाजिक कल्याण की संवीक्षा	2.7	30
निष्कर्ष	2.8	35
सिफारिशें	2.9	35

अध्याय – 3 वित्तीय रिपोर्टिंग		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	37
लेखों की गैर–प्रस्तुति/प्रस्तुति में विलम्ब	3.2	38
दुरूपयोग, हानियाँ तथा गबन इत्यादि	3.3	39
असमायोजित सार आकस्मिक बिल	3.4	39
व्यक्तिगत जमा खाते	3.5	40
उचंत शेष	3.6	41
निष्कर्ष	3.7	42
सिफारिशें	3.8	43

क्र. सं.	परिशिष्ट	पृष्ठ
1.1	राज्य की रूपरेखा (दिल्ली)	45
1.2	सरकारी लेखों की संरचना एवं बनावट	46
1.3	राज्य सरकार के वित्तों पर समय सारणी आँकड़े	48
1.4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) की प्रवृत्तियाँ	50
1.5	वर्ष 2002–13 के लिए प्राप्तियों तथा संवितरणों का सार	51
2.1	₹ 50 करोड़ तथा अधिक की बचतों के अनुदानों की सूची	55
2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोगों की विवरणी जहाँ पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त थे	58
2.3	वर्ष 2012-13 के लिए अत्यधिक प्रावधान पर अधिक व्यय का आवश्यक नियमन	64
2.4	अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में 10 लाख या उससे अधिक)	65
2.5	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन	66
2.6	वर्ष के दौरान किए गए वास्तविक अभ्यर्पणों (कुल प्रावधान का 40 प्रतिशत अथवा अधिक) की समीक्षा के परिणाम	68
2.7	₹ एक करोड़ तथा उससे अधिक की बचतें जो अभ्यर्पित नही की गई	70
2.8	अवास्तविक बजटीकरण जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान सीएसएस तथा एससीएसपी योजनाओं के अन्तर्गत अनुपयोगी रहा	71

2.9	वर्ष 2013–13 के अन्त में व्यय का द्रुतप्रवाह	75
2.10	निकाय/प्राधिकरणों को सहायता अनुदान के अंतर्गत संसद/विधायिका की पूर्व अनुमति के बिना प्रावधान की वृद्धि	77
2.11	31 मार्च 2013 को कुल प्रावधान में से ₹ एक करोड़ या अधिक या 40 प्रतिशत अथवा अधिक की निधि के अभ्यर्पण के मामले	80
2.12	वर्ष की अंतिम तिमाही/ मार्च महीने में व्यय	82
2.13	अधिक/अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामलें में ₹ 10 लाख अथवा अधिक)	84
2.14	निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन (जहां अंतिम बचतें ₹ एक करोड़ से अधिक थी)	87
3.1	स्वायत संस्थाओं के कार्य निष्पादन को प्रदर्शित करने वाली विवरणी	89
3.2	दुरूपयोग, गबन आदि के मामलों का विभाग-वार/अवधिवार विवरण (मामले जिनमें मार्च 2013 के अंत तक अंतिम कार्रवाई लम्बित थी)	90
3.3	सरकारी समान की चोरी, दुरुपयोग/हानि के कारण सरकार को हानि के मामलों के संबंध में विभाग-वार/श्रेणी-वार विवरण	91